सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1838/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

भरतसिंह पुत्र सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

वदी

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत
2. चतरकंवर पत्नि पृथ्वीराज सिंह जाति राजपूत
3. दुर्गेश कंवर पुत्री पृथ्वीराज सिंह जाति राजपूत
4. भैरूसिह पुत्र पृथ्वीराज सिंह जाति राजूपत
   निवासी भराई तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक 23.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भराई में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत के खाता नम्बर 48 के खसरा नम्बर 131,131/1151 कुल किता 2 कुल रकबा कमशः 1.86 , 0.25 है. कुल रकबा 2.11 हैं. एवं खाता स. 262 के खसरा नम्बर 131/1177, 133,134 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है. दर्ज खातेदार है। उक्त पुश्तैनी आराजीयात वादी व प्रतिवादी स. 1लगायात 4 की पुश्तैनी आराजीयात है तथा खाता स. नया 48 में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी स. 1लगायात 4 का 1/3–1/3 हिस्सा तथा खाता स. 262 में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1का 1/2 हिस्सा है व इसी हिस्से के अनुसार आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण मौके पर आराजीयात को काश्त करते समय व लगान अदा समय आपस मे विवाद उत्पन्न होता है।उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कर अलग–अलग संभलावें। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में खाता स. 48 में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा खाता स. 262 में वादी का 1/2 हिस्सा है। उक्त हिस्से में प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से बाधा डालने से रोका जाने हेतु , बेचान,रहन, हस्तान्तरित न करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी द्वारा विधिक बंटवारा किया जाने हेतु निवेदन किया है। वादी का वाद स्वीकार फरमावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण 2 से 4 की और से अधिवक्ता श्री अनुराग पाण्डे उप.। प्रतिवादी स. 1की और से जवाब में पेश हुआ जिसे शामिल फाईल किया गया । उक्त जवाब प्रतिवादी स. 1 अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं जताई है।

हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है जिससे वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया ज[illegible] तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत के खाता नम्बर 48 के खसरा नम्बर 131,131/[illegible] कुल किता 2 कुल रकबा कमशः 1.86 , 0.25 है. कुल रकबा 2.11 हैं. एवं खाता स. 262 के खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव कब्जे [illegible] बंटवारा किये [illegible] हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किये [illegible] निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में [illegible] हिस्से अनुसार बंटवारा [illegible] नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:52 IST
Reason: SelfAttested